फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक 19.06.2025

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्तगण को आला कत्ल(डण्डा) सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री अजय वर्मा के नेतृत्व में थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 80/25 धारा 103(2)/3(5)/238 BNS के सम्बन्ध में एसओजी/सर्विलांस/थाना अमृतपुर पुलिस को शीघ्र घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त के क्रम में एसओजी/सर्विलांस/थाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए अभियोग से सम्बन्धित/नामित/प्रकाश में अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अभियुक्तगण की निशादेही पर आला कत्ल डण्डा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अक्षय कुमार पुत्र नेपाल सिंह निवासी उधरनपुर लीलापुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

2. सवी उर्फ स्वदेश पुत्र अछही उर्फ अक्षय निवासी उधरनपुर लीलापुर थाना अमृतपुर फतेहगढ़ ।

घटना का सक्षिप्त विवरण:- वादिनी श्रीमती ओमवती पत्नी स्व0 कप्तान सिंह निवासी ग्राम गूजरपुर गहलवार थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक -14.06.2025 को अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पति कप्तान सिंह उर्फ कवितान सिंह के चेहरे व सिर पर आघात कर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना अमृतपुर पर मु0अ0स0- 80/25 धारा- 103(2)/3(5)/238 BNS बनाम अक्षय आदि 06 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम मे मुखबिर की सूचना पर अभियोग मे नामित/प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. अक्षय कुमार पुत्र नेपाल सिंह 2. अभियुक्त सवी उर्फ स्वदेश पुत्र अछही उर्फ अक्षय निवासीगण ग्राम उधरनपुर लीलापुर थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमारे पूर्वजो द्वारा करीब 60-65 वर्ष पूर्व मृतक कप्तान उपरोक्त के परिवार को गांव में बसने हेतु जमीन दी गयी थी। मृतक कप्तान सिंह के कोई संतान नही थी जिस कारण हमने अपनी जमीन को वापस मांगा। जबकि कप्तान सिंह द्वारा कहा गया कि उक्त जमीन मैं अपनी गोद ली हुयी लड़की वैजयन्ती को दूँगा एवं कप्तान उपरोक्त द्वारा दीवानी न्यायालय फतेहगढ़ में वाद दायर किया गया था। इसी विवाद के चलते दिनांक 13/14.06.2025 की रात्रि को करीब 11-12 बजे अभियुक्तगण अक्षय आदि के द्वारा मृतक कप्तान सिंह के चेहरे व सिर पर डण्डे से आघात किये गये जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी।

बरामदगी का विवरण –

1. 01 अदद डण्डा (लकडी)

अभियुक्त अक्षय कुमार का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-80/2025 धारा-103 (2)/3(5)/238 बीएनएस थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त सवी उर्फ स्वदेश का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-80/2025 धारा-103 (2)/3(5)/238 बीएनएस थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1 सुश्री मोनू शाक्य थानाध्यक्ष
2 उ0नि0 श्री कल्लू सिंह
3 म0का0 रचना सिंह
4 का0 विकास भाटी

एसओजी पुलिस टीम:-

1. प्रभारी एसओजी टीम उ0नि0 श्री सचिन चौधरी
2. उ0नि0 राजेश राय
3. हे0का0 चन्द्रशेखर राजपूत
4. हे0का0 करन यादव
5. हे0का0 बलवीर सिंह
6. का0 धर्मेन्द्र सिंह
7. का0 सौरभ धीमान
8. का0 विकाश चन्द्र
9. का0 दिव्याशुं
10. का0 विनोद कुमार
11. आ0चा0 सूरज सिंह

सर्विलांस पुलिस टीम:-

1. प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 श्री दीपक सिंह भाटी
2. हे0का0 अनुराग कुमार
3. हे0का0 सचेन्द्र सिंह चौहान
4. हे0का0 संदीप राव
5. का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक - 19.06.2025

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो को चोरी की गयी मोटर साइकिल व 01 तंमचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री हरीश चंदर** के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्रीमती आरती सिंह** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **डॉ0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद **श्री राजेश कुमार द्विवेदी** के नेतृत्व में थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-106/25 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस प्रकाश में आये अभियुक्तगण को चोरी की गयी मोटर साइकिल व 01 अदद तंमचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शिवम पुत्र राजेश निवासी ग्राम रुनी थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ ।
2. राजा पुत्र यासीन अली निवासी ग्राम बरगावा थाना गुरसाहयगंज जनपद कन्नौज ।

घटना का विवरण:- दिनांक 17.06.2025 को वादी श्री अंकित कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी रतनपुर थाना जहानगंज की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की मोटर साइकिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-106/25 धारा-303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । दौराने विवेचना प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.शिवम पुत्र राजेश 2. राजा पुत्र यासीन अली को चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त राजा उपरोक्त से 01 तंमचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। चोरी गयी मो0 साइकिल की बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस व तंमचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- शिवम पुत्र राजेश ने बताया कि दिनांक 05.06.2025 को मैं तथा मेरे साथी राजा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर के आगे नंगला बिरिया बघार मांर्ग पर रात्रि में करीब 22.00 बजे दारु पी रहे थे। तभी नंगला बिरिया की तरफ से एक व्यक्ति मो0 सा0 से आ रहा था वह हम लोगो को देख कर अपनी मो0सा0 खडी करके पीछे की तरफ भाग गया था। हम तीनो लोग HF DELUX मो0 साइकिल को वहा से चोरी करके भाग गये थे । मो0सा0 की नम्बर प्लेट हमने तोडकर फेंक दी थी । शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया ।

बरामदगी का विवरण –

01. 01 तंमचा 315 बोर ।

02. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर ।

अभियुक्त शिवम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 106/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त राजा का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 106/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 274/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली गुरसहायगंज, कन्नौज ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री उदय सिंह
2. हे0का0 सुनील कुमार
3. का0 गीतम सिंह
4. का0 निरंकार सिंह
5. का0 सोनू सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।